भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 937

11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

तेजी से हो रहा शहरीकरण

937. श्री सतीश चंद्र दूबे:
श्री विवेक ठाकुर:
श्री नरेश बंसल:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति के 'पाथवेज टू अमृत काल: एनविजनिंग एंड रियलाइजिंग ए न्यू फ्यूचर फॉर इंडियन सिटिज' नामक प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;
(ख) क्या सरकार ने देश के शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के मुददे के समाधान हेतु कोई कदम उठाए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) शहरी नियोजन पर उच्च स्तरीय समिति ने अप्रैल, 2023 में पहली मसौदा रिपोर्ट "अमृत काल के मार्ग: भारतीय शहरों के लिए एक नए भविष्य की कल्पना और एहसास'' प्रस्तुत कर दी है। समिति का कार्यकाल फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की तेज गति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास और पर्याप्त बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014
- मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल) - 2016

मंत्रालय, योजनाबद्ध तरीकों से भूमि को नियोजन के साधन के रूप में प्रयुक्त करके भूमि उपयोग दक्षता,सुस्थिरता को बढ़ावा,वहनीयतता और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाता है। सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की है:

(i) **अमृत के तहत:** अमृत शहरों में मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए **500 अमृत शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने पर एक उप योजना शुरू की है।** 443 शहरों के लिए अंतिम जीआईएस डेटाबेस तैयार कर लिया गया है, 330 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें से 180 शहरों के लिए अंतिम जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है।

(ii) **अमृत 2.0 के तहत**, छोटे शहरों में योजना पहल करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा '50,000 - 99,999' की आबादी वाले **श्रेणी-II कस्बों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने** की योजना शुरू की गई है। इसे 631 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 675 कस्बों के लिए अनुमोदित किया गया है और यह योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है।

(iii) **स्थानीय क्षेत्र योजना और नगर नियोजन योजना (एलएपी/टीपीएस):-** नगर नियोजन योजना (टीपीएस) और स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) की तैयारी के लिए प्रायोगिक उप-योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना की संकल्पना शहर के केन्द्र में शहरी भूमि जुटाकर और शहरी परिधि में शहरी भूमि पार्सल समायोजित करके शहरी क्षेत्र का नियोजित विकास करने के लिए की गई है। इसमें लगभग 50 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में 25 शहरों को शामिल किया गया है।

(iv) राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता** योजना के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गईं:

क) पूंजी निवेश 2022-23-भाग-VI के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (शहरी नियोजन सुधार) 6000 करोड़ रुपये आबंटन सहित: सुधार घटकों में भवन निर्माण उपनियमों का आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को अपनाना, स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) का

कार्यान्वयन, स्पंज शहरों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चलाने के लिए कराधान हटाना।

ख) पूंजी निवेश 2023-24-भाग-III के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (शहरी नियोजन सुधार) 15000 करोड़ रुपये के आबंटन सहित - सुधार घटकों में शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मानव संसाधनों का विस्तार, नगर योजना स्कीम (टीपीएस)/लैंड पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन निर्माण उप-नियम का आधुनिकीकरण, स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), नियोजन उपकरण के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

****